न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या –108/2019 (Bank Case)

''इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड'' जिसका पंजीकृत कार्यालय–6Th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा–122002
– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति कविता पत्नि श्री छोटूलाल
   पताः– वार्ड नं. 30, प्रेम नगर तृतीय, नवयुग चिल्ड्रन स्कूल के पीछे
   जिला कोटा राजस्थान–324004
2. श्री छोटूलाल पुत्र श्री बद्रीलाल
   पताः– वार्ड . 30, प्रेम नगर तृतीय, नवयुग चिल्ड्रन स्कूल के पीछे, ,
   जिला कोटा राजस्थान–324004

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोरमेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 09.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ''इण्डिया सेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड'' जिसका पंजीकृत कार्यालय–6Th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44 गुरूग्राम, हरियाणा–122002 में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 04.03. 2016 को रूपये 7,00,000/–(अक्षरेः रूपये सात लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी सं0 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री छोटूलाल पुत्र श्री बद्रीलाल** सम्पतित का पता– **Ray-069/211, प्रेम नगर तृतीय, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान, जिसका कुल क्षैत्रफल 880 वर्गफीट है ।, जिसका पट्टा** विलेख **कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/** नियमन–आवंटन/2013/441 दिनांक 10.12.2013 **को जारी किया गया है । जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा** में दिनांक 08.07. **2014 को किया गया है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूर्व में–** श्यामजी का मकान, पश्चिम में–**रोड़, उत्तर में–सुरेशजी का मकान, दक्षिण में–** मंगली बाई का मकान है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 30.09.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे 6,98,939/– (अक्षरे रूपये छः लाख, अठ्यानवें हजार, नौ सौ उन्तालिस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.09.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.09.2018 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 30.09.2018 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति **श्री छोटूलाल पुत्र श्री बद्रीलाल सम्पतित का पता– Ray-069/211**, प्रेम नगर तृतीय, कच्ची बस्ती, **तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान,** जिसका कुल क्षैत्रफल 880 **वर्गफीट है ।, जिसका पट्टा विलेख कार्यालय नगर** विकास न्यास कोटा **द्वारा कमांक/ नियमन–आवंटन/2013/441 दिनांक 10.12.2013 को जारी किया गया है । जिसका पंजीयन उप पंजीयक कोटा में दिनांक 08.07. 2014 को किया गया है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूर्व में– श्यामजी का मकान, पश्चिम में–रोड़, उत्तर में–सुरेशजी का मकान, दक्षिण में– मंगली बाई का मकान है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner